/

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–14 / 2017– 2702 / कृ0, पटना दिनांक 07-07-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सूत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना का वित्तीय वर्ष 2017–18 में 601.92 लाख (छः करोड़ एक लाख बानवे हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत

योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सूत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना का वित्तीय वर्ष 2017–18 में 601.92 लाख (छः करोड़ एक लाख बानवे हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह कार्यक्रम वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 152 वाहन किराये पर रखे जा सकेंगे। योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 पर रखा गया है।

3. कृषि विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए अनुमंडल, जिला, प्रमंडल स्तर पर क्रमशः अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं संयुक्त कृषि निदेशक जिम्मेवार हैं। राज्य स्तर पर विषय की विशिष्टता के अनुसार संयुक्त कृषि निदेशक एवं उप कृषि निदेशक कार्यरत हैं। विभाग के अधीन भूमि संरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दक्षिण बिहार के जिलों में उप निदेशक, भूमि संरक्षण / सहायक निदेशक, भूमि संरक्षण कार्यरत हैं। पूरे राज्य में पौधा संरक्षण संबंधी विशेषज्ञ जानकारी के लिए भी विभिन्न स्तर पर अधिकारी कार्यरत / जिम्मेवार हैं।

4. कृषि विकास की योजनाओं को गंभीरता से किसानों एवं उनके खेतों तक पहुंचाने के लिए एक कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। भारत सरकार द्वारा भी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं यथा राष्ट्रीय खद्यान्न सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि शुरू की गयी हैं।

5. वर्ष 2009–10 में योजना प्राधिकृत समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक के लिये नये वाहन का क्रय किया जायेगा एवं अन्य पदाधिकारियों के लिये किराये पर वाहन रखा जा सकता है। तदनुसार अनुवर्ती वर्षों में योजनायें स्वीकृत की गयी हैं।

E:\ABHINAV\2017-18\Vehicle 2017-18.doc

6. विभाग की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर वाहन की आवश्यकता का आकलन किया गया है। संबंधित विवरणी अनुसूची–1 पर रखा गया है। विभिन्न स्तर पर वाहन के एक पूल का भी प्रस्ताव है ताकि संबंधित मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/ निरीक्षण दल/ जाँच पदाधिकारी/ भारत सरकार के प्रतिनिधि एवं अन्य गण्यमान्य अतिथियों/माननीय मंत्री को आवश्यकता के अनुरूप पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए वाहन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

7. विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिमाह किराया एवं सेवा शर्त्तो का निर्धारण कृषि निदेशक के द्वारा किया जायेगा। सामान्यतः बोलेरो/सूमो श्रेणी की नन एसी गाड़ी ही किराये पर ली जायेगी। विशिष्ट परिस्थितियों में विभागीय अनुमोदन से उच्चतर श्रेणी की गाड़ियां रखी जा सकती हैं। मुख्यालय स्तर पर वाहन पूल के लिए स्वीकृत राशि का आवश्यकतानुसार उपावंटन क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए किया जा सकता है।

8. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–3695 दिनांक 22.08.2013 द्वारा स्वीकृत दर अथवा अद्यतन यथासंशोधित दर के आधार पर भाड़े के वाहन का मासिक किराया का भुगतान किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भुगतान करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे की वाहन का उपयोग विभागीय कार्य के लिए किया जा रहा है।

9. सभी पदाधिकारियों के द्वारा आवश्यकतानुसार ही वाहन रखा जायेगा। मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछेक पदाधिकारी अपने मूल पद के अतिरिक्त दूसरे पद के प्रभार में है, वैसे पदाधिकारी अपने मूल पद के विरूद्ध आवंटित/स्वीकृत वाहन का ही उपयोग करेंगे। स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। योजनान्तर्गत बजट उपबंध की सीमा में व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

11. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है, (राशि लाख.रू0 में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण,माँग संख्या–1 उप शीर्ष–0106 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड 01–2401001090106 विषय शीर्ष–0106.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव।	800.00	601.92
कुल	**800.00**	**601.92**

12. आवंटन तथा खर्च नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 वि0 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक 14.06.2017 को प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

15. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम0–14/2017 के पृ0सं0–14/टि. पर दिनांक– 05.07.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.7.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\Vehicle 2017-18.doc

ज्ञाप संख्या–14 / 2017– 2702 / कृ0, पटना, दिनांक 07-07-2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.7.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या–14 / 2017– 2702 / कृ0, पटना, दिनांक 07-07-2017

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.7.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या–14 / 2017– 2702 / कृ0, पटना, दिनांक 07-07-2017

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.7.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या–14 / 2017– 2702 / कृ0, पटना, दिनांक 07-07-2017

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.7.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या–14 / 2017– 2702 / कृ0, पटना, दिनांक 07-07-2017

प्रतिलिपि– कृषि मंत्री के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना / परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास, बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल / अपर निदेशक (शष्य), प्रसार, बिहार, पटना / संबंधित उप निदेशक / संबंधित सहायक निदेशक / संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / संबंधित सहायक निदेशक / संबंधित संयुक्त निदेशक / संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी / संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक / मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6.7.2018

Tripathi

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\Vehicle 2017-18.doc

अनुसूची– 1

कृषि विभाग के अधीन वित्तीय वर्ष, 2017–18 में विभिन्न पदाधिकारियों के लिए किराये पर वाहन हेतु स्वीकृत राशि/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी।			
क्रम सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी	स्वीकृत भाड़े के वाहन की संख्या	वर्ष 2017–18 में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	2	3	4
1	उप निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना प्रमंडल, पटना	1	396000
2	उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कृषि अभियंत्रण कर्मशाला, पटना	1	396000
3	उप निदेशक उद्यान, पटना प्रमंडल, पटना	1	396000
4	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना	1	396000
5	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, पटना सदर	1	396000
6	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, दानापुर	1	396000
7	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बाढ़	1	396000
8	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, मसौढ़ी	1	396000
9	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, नालन्दा	1	396000
10	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सामान्य नालन्दा, (बिहारशरीफ)	1	396000
11	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, भोजपुर	1	396000
12	संयुक्त निदेशक (शष्य) सारण प्रमंडल, छपरा	1	396000
13	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, आरा सदर	1	396000
14	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बक्सर	1	396000
15	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	1	396000
16	सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण, कैमूर, भभुआ	1	396000
17	उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), भूमि संरक्षण, कैमूर, भभुआ	1	396000
18	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)	1	396000
19	उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण),भूमि संरक्षण, रोहतास	1	396000
20	सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण, रोहतास	1	396000
21	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, भभुआ	1	396000
22	संयुक्त निदेशक (शष्य), मगध प्रमंडल, गया	1	396000
23	उप निदेशक, पौधा संरक्षण, मगध प्रमंडल, गया	1	396000
24	उप निदेशक, उद्यान, मगध प्रमंडल, गया	1	396000
25	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण गया	1	396000
26	उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), भूमि संरक्षण, नवादा	1	396000
27	सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण, गया	1	396000
28	उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), भूमि संरक्षण, गया	1	396000
29	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, गया सदर	1	396000
30	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, शेरघाटी	1	396000
31	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद	1	396000
32	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जहानाबाद	1	396000
33	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, नवादा	1	396000
34	उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), भूमि संरक्षण, औरंगाबाद	1	396000
35	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	1	396000
36	उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र, मोतिहारी	1	396000
37	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	1	396000

रवि 14/06/2017

E:\VEHICLE\V2017-18\vehicle 2017-18